

मध्य प्रदेश विधान सभा

पत्रक भाग-2

गुरुवार, दिनांक 20 जुलाई, 2017 (आषाढ 29, 1939)

शुक्रवार, दिनांक 21 जुलाई, 2017 हेतु निर्धारित अशासकीय संकल्पों की सूची
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का बीसवां प्रतिवेदन

दिनांक 21 जुलाई, 2017 को सदन द्वारा गैर - सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के बीसवें प्रतिवेदन में निहित सिफारिशों को स्वीकृति दी गई, तदनुसार निम्नलिखित कार्यों के लिये उनके सम्मुख अंकित समय नियत किया गया:-

<u>अशासकीय संकल्प</u>	<u>शुक्रवार, दिनांक 21 जुलाई, 2017</u>	<u>निर्धारित समय</u>
1 (क्रमांक-1)	सदन का यह मत है कि मध्यप्रदेश के कई जिलों में प्रचलित "ऐरा प्रथा" को समाप्त किया जाए। (प्रस्तुतकर्ता सदस्य -श्री शंकरलाल तिवारी)	50 मिनट
2 (क्रमांक-4,20)	सदन का यह मत है कि मध्यप्रदेश के ग्रामीण इलाकों के विभिन्न ग्रामों की बड़ी आबादी वाली बसाहटों / मजरो / टोलों को राजस्व ग्राम घोषित किया जाए। (प्रस्तुतकर्ता सदस्य - सर्वश्री के.पी.सिंह, शैलेन्द्र पटेल)	50 मिनट
3 (क्रमांक-26)	सदन का यह मत है कि केन्द्र सरकार के शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार शिक्षकों की मृत्यु उपरांत उनके परिवारजनों को दी जाने वाली अनुकंपा नियुक्ति के मामलों में बी.एड. एवं डी.एड. की अनिवार्यता को समाप्त किया जाए। (प्रस्तुतकर्ता सदस्य - श्री यशपाल सिंह सिसौदिया)	50 मिनट

अवधेश प्रताप सिंह
 प्रमुख सचिव,
 मध्य प्रदेश विधान सभा